मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

रिट याचिका क्रमांक. 1550/1996

याचिकाकर्ता: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा प्रबंध निदेशक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला दुर्ग (म.प्र.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी गण:

1. श्री रामसोहाग, पूर्व परिचर, ऑटो मरम्मत दुकान, पी. नंबर. 46808/13616/, निवासी– ग्राम ओखरा, डाकघर नर्दा, तहसील व जिला दुर्ग (म.प्र.)

2. राज्य औद्योगिक न्यायालय (म.प्र.), न्यायपीठ रायपुर, 16 एचआईजी – कृष्ण सदन, शंकर नगर, रायपुर (म.प्र.)

3. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, दुर्ग (म.प्र.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक. 1550/1996

याचिकाकर्ता: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रबंध निदेशक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला दुर्ग (म.प्र.)

बनाम

उत्तरवादी गण: श्री रामसोहाग एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

श्री पी. आर. पाटणकर, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री आर. एस. पटेल, उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 2 मार्च, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया:

1. उत्तरवादी क्रमांक 1 (श्री रामसोहाग) को याचिकाकर्ता द्वारा मजदूर के रूप में नियोजित किया गया था। दिनांक 20.10.1992 का ज्ञापन (उपाबंध पी/2) उत्तरवादी क्रमांक 1 को निम्नलिखित आरोप के साथ जारी किया गया था:

   "श्री राम सुहाग ने ए.आर. शॉप, बी.एस.पी. में परिचर के रूप में कार्य करते हुए "सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति/छुट्टी की स्वीकृति के बिना कर्तव्य से जानबूझकर/आदतन अनुपस्थिति" का दोषी पाया गया है, क्योंकि वह 25.9.92 to 9.10.92 तक अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहे।"

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, उचित जांच की गई और जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने रिपोर्ट से सहमत होते हुए सेवा समाप्ति की शास्ति लगाई गई जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है।

3. उत्तरवादी क्रमांक 1 ने 25.9.1992 से 9.10.1992 तक अनुपस्थित रहने के अपने अपराध को स्वीकार करते हुए यह वचन दिया कि वह भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा और अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 19.5.1993 को सेवा समाप्ति जैसा कठोर दंडादेश पारित किया।

4. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, उत्तरवादी क्रमांक 1 ने मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम,1960 (संक्षेप में "अधिनियम, 1960") की धारा 31(3) के तहत श्रम न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें यह प्रार्थना की गई कि दिनांक 19.5.1993 के सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द किया जाए क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ यह आरोप साबित करने के लिए कोई उचित जांच नहीं की गई थी कि वह लगभग 15 दिनों तक जानबूझकर और आदतन अनुपस्थित रहा था। श्रम न्यायालय दुर्ग ने अपने दिनांक 21.4.1994 के अधिनिर्णय द्वारा आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि दंड उचित और विधिसंगत था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. व्यथित होकर, उत्तरवादी क्रमांक 1 ने अधिनियम, 1960 की धारा 65 के तहत श्रम न्यायालय, दुर्ग द्वारा केस संख्या 73/एम.पी.आई.आर./93 में पारित दिनांक 21.4.1994 के अधिनिर्णय के विरुद्ध औद्योगिक न्यायालय, रायपुर के समक्ष अपील दायर की, जो अपील संख्या 224/एम.पी.आई.आर. अधिनियम/94 थी।

6. औद्योगिक न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:

> "6. अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांकित 21.4.94 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श पी–4 जो कर्मचारी द्वारा विभागीय जाँच में दिया गया बयान है और जिसमें कर्मचारी ने आरोप को स्वेच्छा से स्वीकार किया है, को आधार मानते हुए निर्णय पारित किया है। प्रदर्श पी–4 के अवलोकन

से स्पष्ट है कि कर्मचारी ने ज्ञापन दिनांकित 20–10–92 में लगाया गया आरोप कि मैने जानबूझकर/आदतन बिना अनुमति एवं स्वीकृत के अपने कार्य से दिनांक 25–9–92 से 9–10–92 तक अनुपस्थित रहने का दुराचरण किया है। मै स्वीकार करता हूँ कि मेरे विरूद्ध उपरोक्तानुसार लगाए गए आरोप सत्य है एवं जिसे मै स्वेच्छा से निःशर्त स्वीकार करता हूँ तथा आश्वासन देता हूं कि भविष्य में दुराचरण की पुनरावृत्ति नहीं करूगाँ। अतः इस बार मुझे क्षमा करने की कृपा करें। कर्मचारी के उक्त कथन से स्पष्ट है कि उसने केवल दिनांक 25–9–92 से 9–10–92 तक ही अनुपस्थित रहने के दुराचरण को स्वीकार किया है, पूर्व में किये गये दुराचरण के संबंध में कोई स्वीकारोक्ति कर्मचारी की ओर से उसके कथन में नहीं है। वैसे भी प्रदर्श पी–1 के साथ संलग्न स्टेटमेन्ट ऑफ चार्जेस में जिन पूर्व के आरोपों के संबंध में कर्मचारी को दण्डित किये जाने का उल्लेख किया गया है, वे स्पष्ट नहीं है कि पूर्व में कर्मचारी कितने दिन अनुपस्थित रहा और उसे यथा दण्ड दिया गया। पूर्व में कर्मचारी को जो दण्ड अनुपस्थिति के कारण दिये गये है, वे अभिलेख में नहीं है। अतः इनके आधार पर किसी प्रकार का निष्कर्ष निकाला जाना उचित नहीं है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कर्मचारी के विरूद्ध केवल दिनांक 25–9–92 से 9–10–92 तक केवल 15 दिन अनुपस्थित रहने का दुराचरण प्रमाणित है, जिसके आधार पर कर्मचारी की सेवा समाप्त जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का औचित्य नहीं है। कर्मचारी के कथन के अनुसार उसे सेवा का एक अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विभागीय जांच में कर्मचारी द्वारा दुराचरण की स्वीकारोक्ति संबंधी कथन लिपिबद्ध करने से विभागीय जांच को त्रुटिपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता, अतः विभागीय जांच अवैध होने संबंधी कर्मचारी की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। कर्मचारी की 15 दिन की अनुपस्थिति के लिये यदि उसके पिछले वेतन को रोका जाता है, तो यह उचित दण्ड होगा। नियोक्ता की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत कर्मचारी द्वारा स्वीकृत दुराकरण की लघुता को देखते हुए प्रस्तुत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है।" और उत्तरवादी क्रमांक 1 की अपील को आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार कर लिया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 बिना पिछले वेतन के सेवा में बहाल होने का हकदार होगा। प्रबंधन ने औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.4.1995 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना है और अभिवचनों के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया है। यह एक स्पष्ट मामला है जहां पूरी कार्यवाही उत्तरवादी क्रमांक 1 के इस हद तक स्वीकारोक्ति के आधार पर हुई थी कि वह अनुपस्थित रहा था। जांच अधिकारी ने यह तथ्य स्थापित किए बिना जांच बंद कर दी थी कि क्या कथित अनुपस्थिति जानबूझकर या आदतन थी, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 1 के खिलाफ लगाया गया आरोप स्पष्ट था कि "क्या उत्तरवादी क्रमांक 1 सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति/छुट्टी की स्वीकृति के बिना जानबूझकर/आदतन अनुपस्थिति का दोषी था?" औद्योगिक न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों की सही ढंग से जांच की है और अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

8. मुझे औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई प्रतिकूलता नहीं मिली है। आक्षेपित आदेश किसी भी विधिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत आक्षेपित आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है। तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है और औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.4.1995 का आदेश यथावत रखा जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(सतीश के. अग्निहोत्री)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By AMAN DESHMUKH